DATE: 05/08/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 29 (TWENTY NINE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (अनु० 55) :-

राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार 'एकल संक्रमणीय मत' (Single Transferable Vote) द्वारा होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार हेतु 'न्यूनतम कोटा' (मतों का एक निश्चित भाग) प्राप्त करना जरूरी होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने हेतु अपनाए जाने वाला सूत्र —

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{कुल वैध मत}}{(\text{कुल पद}) + 1} + 1$$

न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है।

एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्यों जो, राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता होते हैं, प्रत्येक के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसन्द व्यक्त की जा सकती है, जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। मतदाता के पहली पसंद के मत को प्रथम वरीयता, द्वितीय पसंद के मत को द्वितीय वरीयता, तीसरी पसंद वाले उम्मीदवार को दिए गए मत को तीसरी वरीयता के मत कहलाते हैं। सर्वप्रथम प्रथम वरीयता वाले मतों की गणना की जाती है। यदि इससे किसी उम्मीदवार को 'न्यूनतम कोटा'

Scanned with CamScanner

प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती और ये क्रम जब तक चलते रहता है तब तक की कोई उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम कोटा को प्राप्त न कर ले अर्थात उम्मीदवार को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है और तबतक चलती रहती जबतक की कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त न कर ले। मतगणना के द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर इनके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है।

अगस्त 1969 में राष्ट्रपति का जो पाँचवाँ चुनाव हुआ था, उसमें निर्णय हेतु द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी, इसमें वी० वी० गिरि राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे।

राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी हो। इसलिए संसद तथा विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या या मूल्य निर्धारित करने हेतु अपनाए जाने वाला सूत्र इस प्रकार है—

एक विधायक के मत का मूल्य

$$= \frac{\text{राज्य या संघीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य या संघीय क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$$

एक सांसद के मत का मूल्य

$$= \frac{\text{सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या}}$$

Scanned with CamScanner

निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रपति चुनाव सम्बंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाते हैं तथा प्रभावी बने रहते हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम-से-कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। चुनाव में उम्मीदवारी हेतु जमानत राशि 15000/- निर्धारित है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत-राशि जब्त हो जाती है।

पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता (अनुच्छेद 57) :-

भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं, जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर रोक लगाए।

राष्ट्रपति की पदावधि (अनु० 56) :-

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अन्तर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः पाँच वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए होता है न कि शेष अवधि के लिए।

राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले, पाँच वर्ष कार्यकाल के उपरांत भी।

Scanned with CamScanner